16. नेना पत्नी श्री कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

17. मोहनलाल पुत्र श्री नेनुराम, जाति पालीवाल

18. रूगनाथराम पुत्र श्री नरसिंगाराम जाति जाट निवासी गगाड़ी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र 111, 128 बाबत् पत्थर गड्डी करवाने

उपस्थितः– प्रार्थीगण की ओर से–श्री घेवरराम विश्नोई एड.।

अप्रार्थीगण की ओर से –श्री राजेन्द्र चौधरी एड.।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 16/12/2020

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है किः–

1. प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा मौजा ग्राम गगाड़ी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है तथा मौके पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। खसरा नम्बर 197 के और भी बट्टा नम्बरों की भूमि है जिसकी भी अलग तरमीम नहीं है लेकिन मूल खसरा नम्बर 197 का आपसी विभाजन करने के बाद प्रार्थीगण के हिस्से में भी अलग–अलग बट्टा नम्बरों के रूप में भूमि दर्ज हो गई है। लेकिन उक्त खसरा नम्बर 197 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा की उतर दिशा में खसरा नम्बर 194 व 196 आई हुई है जिसमें से कुछ भूमि संपरिवर्तन सुदा है राजस्व रेकर्ड में भी अलग–अलग खातों के रूप में भूमि दर्ज है।

2. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 194 व 196 की सीमा पर आई हुई है। जो विभाजन शेड्युल के साथ लगा नजरी नक्शा से स्पष्ट है तथा मौके पर भी उसी अनुसार कब्जा चला आ रहा है लेकिन खसरा नम्बर 194 व 196 के खातेदारान ने मिलकर प्रार्थीगण की भूमि के उतरी सीमा में बिना किसी कारण के दखलंदाजी करनी शुरू कर दी और मौके पर विभाजन पौराणिक माठ को खुर्द बुर्द कर दिया तथा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के आशय से दखलंदाजी करनी शुरू कर दी तो प्रार्थीगण तंग परेशान होकर प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की सही पैमाईश बाबत् सीमांकन आदेश करवाया। हल्का पटवारी ने मौके पर आकर सीमांकन करना शुरू किया तो अप्रार्थीगण ने मौके पर बिना किसी कारण के विवाद खड़ा कर दिया और हल्का पटवारी से मिलीभगत कर तरमीम नहीं होने का

Scanned with CamScanner

लिखवाकर फर्द बनवा दी जबकि प्रार्थीगण मूल खसरा नम्बर 197 व 194–196 के मध्य की सीमा का ज्ञान करवाना चाहता है। जिसमें किसी प्रकार की तरमीम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह खसरा नम्बर सेटलमेन्ट से निर्धारित है। खसरा नम्बर 197 के मध्य कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की पैमाईश बाबत् बहुत ज्यादा प्रयास किया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण मौके पर सही सीमांकन नहीं होने दे रहे है तथा दिन–प्रतिदिन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के आशय से सीमा को खुर्द बुर्द कर रहे है। जबकि प्रार्थी की भूमि पर प्रार्थी का एक पुराना निर्माण किया हुआ है तथा प्रार्थीगण अपने–अपने हक अधिकार की भूमि पर काबिज है उनके मध्य कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है तथा अप्रार्थीगण ने मौके पर भयंकर सीमा विवाद खड़ा कर दिया है तथा मौके पर सीमांकन कार्य नहीं करने दे रहे है। इस प्रकार उक्त सीमा विवाद का निस्तारण जरिये पत्थरगढी प्रार्थना पत्र ही किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगण ने मजबूरन यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा खसरा नम्बर 197 की उतरी सीमा जो खसरा नम्बर 194 व 196 से लगती है, पर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि ग्राम गगाड़ी तहसील ओसियां वर्तमान तहसील तिंवरी की सरहद में आई हुई है। जिसके बाबत् पत्थरगढी प्रार्थना पत्र श्रवण कर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि मूल खसरा नम्बर 197 का सही सीमांकन करवाया जाकर खसरा नम्बर 197 व खसरा नम्बर 194–196 के मध्य की सीमा पर पत्थरगढी किये जाने बाबत् तहसीलदार ओसियां से टीम गठित करवाई जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश सादर फरमाया जावें तथा साथ ही मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस व्यवस्था दिलवाई जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया। पटवारी हल्का जेलू गगाड़ी की रिपोर्ट में बताया कि श्रीमान् तहसीलदार साहब ओसियां के आदेश क्रमांक 342 दिनांक 22.03.2011 की पालना में दिनांक 03.06.2011 को ग्राम गगाड़ी के खसरा नम्बर 197 के मौके पर पहुंचा। खसरा नम्बर 197 रकबा 01.06, खसरा नम्बर 197/1 रकबा 2–12 गै.मु. सड़क, खसरा नम्बर 197/2 रकबा 0–10, खसरा नम्बर 197/3 रकबा 01.05 गै. मु. सड़क, खसरा नम्बर 197/4 रकबा 1.03 गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 197/4/1 रकबा 10.05 गै.मु. आबादी खसरा नम्बर 197/4/2 रकबा 1–01–10 गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 197/4/3 रकबा 0–15–05 गै.मु. आबादी, खसरा नम्बर 197/4/4 रकबा 0–15–05 गे.मु. आबादी में उक्त खसरा कुल 9 खसरों में बंटा हुआ है। मौके पर किसी भी खसरे का अलग से कणा माठ मुटाम नहीं है। खसरा ग्राम आबादी के समीप है। प्रार्थी श्री गेपरराम के नाम 20 X 30 = 600

[redacted]

Scanned with CamScanner

वर्गफीट का भूखण्ड है जिसका रकबा 0–00–14 बीघा है। मौके एवं रेकार्ड में उक्त खसरा की तरमीम नहीं है एवं बिस्वा इकाई में तरमीम किया जाना कठिन है। मौके पर कब्जे को लेकर विवाद है अतः सीमांकन टीम गठित कर करवाया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 22 नियम 4, 9 सी.पी.सी. का पेश किया उसमें बताया कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र 111, 128 का अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर रखा है तथा वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 किशनाराम पुत्र देवाराम का देहान्त हो चुका है उनके विधिक उतराधिकारी नरसिंह राम पुत्र किशनाराम है। इसलिए किशनाराम का इस प्रार्थना पत्र से नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर उनके कायम मुकाम नरसिंहराम का नाम बतौर अप्रार्थी संख्या 2/1 जोड़ा जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18/3/4 को स्वीकार किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया। जिसकी रसीद मय नोटिस पत्रावली में शामिल है।

अप्रार्थीगण सं. 11 से 16 की ओर से जबाब में बताया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है। क्योंकि खसरा नम्बर कुल 9 खसरों में बटा हुआ है एवं उसका नक्शा ट्रैस संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। इसलिए सर्वप्रथम खेत खसरा नम्बर 197 के खातेदारों की अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज भू–भाग की नक्शा लट्ठा ट्रेश में तरमीम करवाना आवश्यक है। उसके पश्चात् विशेष भू–भाग का सीमांकन करवाया जा सकता है। जब तक सम्पूर्ण भूमि नक्शा ट्रेस में एक ही रकबे के रूप में दर्ज है तब तक उक्त भूमि की पेमाईश एवं सीमांकन नहीं किया जा सकता है वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे का तरमीम एवं विभाजन करवाये बिना प्रार्थीगण की भूमि पेमाईश एवं सीमांकन नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे का तरमीम एवं विभाजन करवाये बिना प्रार्थीगण की भूमि की पत्थर गड़डी करना असंभव है क्योंकि पहले सभी खातेदारों की भूमि का नक्शे में विभाजन करने के पश्चात् ही मौके पर नाप आदि किया जा सकता है। दिनांक 3.6.2011 के तत्कालीन हल्का पटवारी गगाड़ी ने अपने सीमांकन मौका फर्द में स्पष्ट रूप से बताया कि खसरा नम्बर 197 का विभाजन करवाये बिना उक्त खसरे का माप एवं सीमांकन नहीं किया जा सकता है।

इसके साथ साथ हल्का पटवारी द्वारा इस बात का कहीं भी उल्लेख किया हुआ नहीं है कि सीमांकन में अप्रार्थीगण ने कोई व्यवधान पैदा किया है। माननीय हल्का पटवारी ने अपनी फर्द में लिखा है कि खेत खसरा नम्बर 197 के मुल खातेदारों के मध्य विवाद है। इसलिए खेत खसरा नम्बर 194 से 196 के खातेदारों पर सीमांकन विवाद से सम्बन्धित आरोप लगाना भी सरासर गलत है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या

Scanned with CamScanner

11 से 16 खसरा नम्बर 194 रकबा 10–01 बीघा पर काबिज है खसरा नम्बर 194/1 रकबा 1–08 बीघा गै.मु. सड़क पी डब्लु डी विभाग के अधीन दर्ज है। इसलिए पुरक रूप से प्रार्थीगण को सर्वप्रथम अपने खसरे का ही सम्पूर्ण माप करवाना आवश्यक है जब तक प्रार्थीगण के खसरे का अलग से नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं हो जाती तब तक प्रार्थी अकेला अपने खसरे का माप नहीं करवा सकता क्योंकि इसके लिए इसी खसरा नम्बर 197 के अन्य खातेदारों का भी समान रूप से हक हिस्सा है। खेत खसरा नम्बर 194 व 196 के खातेदारों ने मिलकर खसरा नम्बर 197 की भूमि के उतरी सीमा में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की और न ही अप्रार्थीगण ने किसी भी प्रकार से कोई पौराणिक कणा माठ को खुर्द बुर्द किया। अप्रार्थीगण ने मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं किया। प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से मिलीभगत कर तरमीम नहीं करने का लिखवाकर फर्द बनवा दी। इस प्रकार आरोप लगाना भी सरासर गलत है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 197 के खातेदारों के मध्य विवाद न होने का तथ्य भी सरासर गलत लिखा गया है क्योंकि हल्का पटवारी ने स्वयं अपनी फर्द में बताया कि खेत खसरा नम्बर 197 के खातेदारों के मध्य भी कब्जे को लेकर आपसी विवाद है।

इस प्रकार अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार का कोई सीमा सम्बन्धी वाद विवाद नहीं किया। वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 197 का जब तक नक्शे में तरमीम नहीं हो जाती है तब तक विवाद का निपटारा नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम प्रार्थी को अपने रकबे में से अपने हक हिस्से की नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करवाने की आवश्यकता है।

प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय एक आधारहीन एवं मनगढत पत्थर गड्डी करवाने बाबत् प्रस्तुत किया जो खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पद सं.3 कानूनी है।

अत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई ने कहा कि प्रार्थी का कब्जा उतरी सीमा पर है। मौका फर्द में हमने लिखा कि इसकी तरमीम नहीं है। जबकि सेटलमेन्ट का खसरा नम्बर 197 प्रार्थीगण का है तथा खसरा नम्बर 194–196 की सीमा कायम करवाना चाहता है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि मूल खसरा नम्बर 197 एक ही चक में है। पैरा 1 के जवाब में कहा कुछ आबादी व कुछ सड़क है। पहले पेमाईश करवाई जानी थी पी डब्लू डी को भी पक्षकार बनाया जाता है। मौका फर्द

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

दिनांक 03.06.2011 में खसरा नम्बर में कुल 9 खसरे में विभक्त है। मौके पर विवाद है। गेपरराम का कब्जा नहीं है खारिज किया जावें।

पुनश्चय अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कहा कि खसरा नम्बर 197 के बीच में खातेदारी का कोई विवाद नहीं है। खसरा नम्बर 194–196 के बीच की सीमा का ज्ञान करवाना चाहते है। मौका कब्जा के अनुसार निपटाया जा सकता है। पी डब्लू डी हमारे बीच में नहीं है फर्द व अप्रार्थीगण के जवाब से यह तय है कि सीमा विवाद है। कणा माठ कायम होना जरूरी नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणों के मध्य सीमा विवाद स्पष्ट है। जिस पर प्रार्थीगण पत्थर गड़डी करवाने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तिंवरी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम गगाड़ी के खसरा नम्बर 197 व 194–196 के मध्य टीम गठित की जाकर सही सीमांकन अनुसार पत्थरगढी की जावें। आवश्यकता अनुसार मौके पर शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस थाना मथानिया ली जावें। तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

[redacted] एवं
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

आज दिनांक 16/12/2020 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
[redacted] ओसियां

Scanned with CamScanner